BSES
BSES Rajdhani Power Limited

# आग से सुरक्षा के लिए एडवाइज़री

1. बिजली के मीटर हमेशा घरों से बाहर लगवाएं व प्रवेश द्वार या सीढ़ियों (Staircases) पर न लगाएं जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

2. जहां बिजली के मीटर लगे हैं वहां मीटर के पास कोई भी वाहन खड़ा न करें। मीटर के पास कोई भी दहनशील (Combustible) व ज्वलनशील (Flammable) सामान इकटठा न करें।

3. बिजली के झटकों व दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियमानुसार ईएलसीबी/आरसीसीबी (ELCB/RCCB) बिजली मीटर के बाद लगवाएं।

4. लूज कनेक्शन/कटी – फटी तारों/बिना प्लग वाली तारों का उपयोग किसी भी छोटे या बड़े उपकरण के लिए न करें, उन्हें तुरंत बदल दें। इससे आग लगने का खतरा बना रहता है।

5. बिजली के उपकरणों/वायरिंग व एक्सटेंशन बोड्र्स को ओवर लोड न करें। कमज़ोर व पुरानी वायरिंग को तुरंत बदलवाएं।

6. अनावश्यक व अत्यधिक समय के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरणों जैसे की गीज़र, रूम हीटर/पंप इत्यादि को चला हुआ न छोड़ें व रात को सोने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले भी चेक कर लें। इसके कारण ओवरहीटिंग होकर आग लगने का खतरा बना रहता है।

7. AC व अन्य उपकरणों की समय–समय पर सर्विसिंग करवाएं ताकि किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग से बचा जा सके।

8. रात में सोने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले सुनिश्चत कर लें कि गैस पाइप लाइन या सिलिंडर को रेगुलेटर से बंद कर दिया गया है। यदि घर में गैस के लीक होने की आशंका हो तो तुरत गैस एजेंसी को कॉल करें।

9. अत्यधिक मात्रा में ज्वलनशील वस्तुओं को इकठा न करें। ज्वलनशील वस्तुओं जैसे तेल, गैस, केमिकल व अन्य दहनशील वस्तुओं **(Combustible Material)** जैसे कागज़ इत्यादि को बिजली स्वीचिंग पॉइंट से दूर रखे।

10. इलेक्ट्रिकल वाहनों को ओवर चार्ज करने से बचें अन्यथा आग से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

11. बिजलीघरों में बिजली उपकरणों के आस – पास कूड़ा, सूखे पत्ते इत्यादि न डाले इससे आग लग सकती है।

12. यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं या आस पास नहीं हैं तो दीपक/धूपबत्ती को जलता हुआ न छोड़ें, इससे घर में आग फैल सकती है।

13. अपने घरों की वायरिंग को किसी अधिकृत इलेक्ट्रिशन से प्रति वर्ष गर्मियां शुरू होने से पहले चेक कराएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। **CEA Safety Rules 2023** के तहत ऐसा करना आपके लिए अनिवार्य है।

14. हमेशा आपके घर की वायरिंग स्टैंडर्ड रेटिंग के वायर से करवाए एवं वायर **I.S.I** प्रमाणित हो।

15. **I.S.I** प्रमाणित उपकरणों का उपयोग करें।

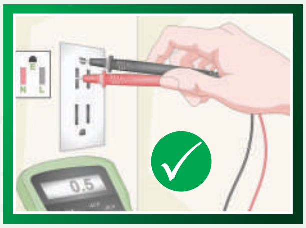

16. आपको बिजली कंपनी द्वारा प्रदान किये गए अर्थ इलेक्ट्रोड से अपनी घर की अर्थिंग को कनेक्ट करना चाहिए एवं इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है।

17. अर्थ टर्मिनल या लीड्स से संबंधित किसी भी समस्या को बिजली विभाग को सूचित करना चाहिए।

18. आग लगने पर आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर या फायर सर्विस डिपार्टमेन्ट को 101 पर तुरंत कॉल करें।

**FIRE EMERGENCY CALL**
**112 | 101**

आग से सुरक्षा सम्बंधित उपरोक्त सुझावों को अपने परिवार व दोस्तों से साझा व विचार विमर्श करें ताकि आग सम्बन्धी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

किसी भी आतापकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 19123 (टोल फ्री) पर सूचना दे।

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः बीएसईएस भवन नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019
सीआईएनः U40109DL2001PLC111527, हेल्पलाइन नंबरः 19123 (टोल फ्री),
वेबसाइटः www.bsesdelhi.com